

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल याचिका संख्या 14480/2020 सरोज शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य को प्रत्याहृत (Withdraw) करने के आधार पर खारिज करते हुए याचिकार्थिया को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की छूट प्रदान की है। जिसके क्रम में याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकार्थिया वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नूरडा, तहसील- मावली, जिला-उदयपुर में अध्यापक ग्रेड III, लेवल-2 (अंग्रेजी) के पद पर कार्यरत है जबकि याचिकार्थिया के पति उमा शंकर शर्मा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गौतमपुरा (रामपुरा), पंचायत समिति-विराट नगर, जिला-जयपुर में अध्यापक ग्रेड III, लेवल-2 के पद पर गृहजिले जयपुर में कार्यरत है। याचिकार्थिया के कथनानुसार उसका पदस्थापन स्थान गृह जिले से दूर होने के कारण वह अपने बीमार वृद्ध सास-ससुर एवं दो छोटे बच्चों की सही प्रकार से देखभाल नहीं कर पा रही है। अतः याचिकार्थिया ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पारिवारिक परिस्थितियों एवं पति-पत्नी प्रकरण (यदि पति-पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो तो उनको एक ही जिले (स्टेशन) में कार्यरत किया जावे) के आधार पर उदयपुर जिले से जयपुर जिले के सेठ आनन्दीलाल बधिर राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जयपुर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भाभरू, पं. स.-विराट नगर, जिला जयपुर अथवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ढाणी गैसकान, पं. स.-विराट नगर, जिला जयपुर में से किसी विद्यालय में पदस्थापन करने की मांग की है।


याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.12.2020 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 के अनुसार अध्यापक ग्रेड III का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। अध्यापक ग्रेड III का पद जिला कैडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का जिलास्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। अध्यापक ग्रेड III के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर वर्गवार एवं जिलेवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विरुद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

याचिकार्थिया द्वारा पति-पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में कार्यरत होने पर दोनों को एक स्थान पर पदस्थापित किये जाने के आधार पर उदयपुर जिले से जयपुर जिले में स्थानान्तरण की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि शासन के पत्रांक प 17(4) शिक्षा-2/2009 पार्ट जयपुर, दिनांक 26.07.2019 के अनुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक के स्थानान्तरण हेतु वर्तमान में शासन द्वारा पत्रांक प 5(5) प्राशि/2018 दिनांक 02.04.2018 द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देश प्रभावी है, जिनमें राजकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी के एक ही स्थान पर पदस्थापन के सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश अंकित नहीं है।

राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक 18.05.2020 के बिन्दु संख्या 03 में अंकित पति-पत्नी प्रकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त परिपत्र राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या अन्य भर्ती एजेंसी से चयनित अभ्यर्थियों को मण्डल/जिला आवंटन पश्चात् काउंसिलिंग में वरीयता प्रदान करने के सम्बन्ध में है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियों एवं पति के राजकीय सेवा में कार्यरत होने के आधार पर अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है।


अतः याचिकाथिया द्वारा उदयपुर जिले से जयपुर जिले में स्थानान्तरण करने हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकाथिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।


(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक:- 02/09/2021

क्रमांक:- शिविरा-मा./संस्था/एफ-2/को.के./जय/13221/2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
2. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, उदयपुर
5. याचिकाथिया सरोज शर्मा अध्यापक ग्रेड III, राउमावि, नूरडा, तहसील-मालवी, जिला-उदयपुर
(रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)